

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1193/

जबलपुर, दिनांक 13/03/20

श्री रिकु बिरहा, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रजिस्ट्री नोटिस क्रमांक ए/3482 दिनांक 23.11.2019, रजिस्ट्री नोटिस क्रमांक डी/8124 दिनांक 20.09.2019 एवं रजिस्ट्री नोटिस क्रमांक डी/8208 दिनांक 18.12.2019 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 21.10.2019 एक दिन एवं दिनांक 05.09.2019 से 07.09.2019 तक 3 दिन तथा दिनांक 05.12.2019 से 07.12.2019 तक 3 दिन (कुल 7 दिन) अवकाश का उपभोग करने के कारण उक्त दिनाकों का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है।

सही /—

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1193/

जबलपुर, दिनांक 13/03/20

प्रतिलिपि —

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. अग्नि, रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री रिकु बिरहा, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।

(किशोर पिठवा)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

11